Provident Fund arrears of Employees

2245. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the arrears of employees' contribution to provident fund have shown alarming rise during the last two years; if so, the details and reasons therefor; and

(b) the measures Government have taken/propose to take against the guilty persons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) No, Sir. During 1989-90, the arrears of Provident fund contribution (including employees' contribution) increased by Rs. 12.68 crores. However, there was a net reduction of arrears by Rs. 2.5 crore during 1990-91.

(b) The Provident Fund authorities are already taking necessary legal and penal action against the defaulting employers to recover the outstanding EPF dues.

Worker's Participation in Management

2246. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision to provide for workers' participation in management; and

(b) if so, the details of the decision taken

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) and (b) The Participation of Workers in Management Bill, 1990 was introduced in the Rajya Sabha on 30-5-1990. The Bill has not been taken up for consideration by the House.

Registration of Minority Candidates

2247. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 584 given in the Rajya Sabha on the 16th March, 1990 and state:

(a) what are the names of the places where Sub-Exchanges were opened after State Governments were requested by the Centre in this matter;

(b) what are the names of the places where special drives/mobile camps were organised in minority concentration areas: and

(c) how many minority candidates were registered as a result of the above steps?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) Information is being collected and would be laid on the Table of the House.

Child Labour Engaged in Beedi Industry

2248. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of 'Child labour' working in the Beedi Industry in the country;

(b) whether Government propose to put a ban on child labour engaged in Beedi Industry; and

(c) if so, how the child labour would be compensated if it runs out of work?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) Employment of child labour in beedi industrial premises is already prohibited as per provisions of Section 24 of Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 which is reproduced as under;

> 'No child shall be required or allowed to work in any industrial permises."

According to Section 2(b) of the Act "Child means a person who has not completed fourteen years of age." Threfore,

ihte questin of imposing further ban does not arisc. In view of the existing ban on employment of children in beedi manufacturing, no statistics of child labour is maintained.

श्रम नीति और न्यूनतम मजूरी में परिवर्तन

2249. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम नीति और न्यूनतम मजूरी में कोई मौलिक परिवर्तन करने पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हा, तो बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ महानगरों में मजदूरों की संख्या कितनी है और क्या उनको दी जाने वाली मजदूरी इन शहरों में जीवन निर्वाह व्यय के अनुरूप है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) नया औद्योगिक विधान बनाने के प्रश्न पर अप्रैल, 1990 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 29 वें सत्र में चर्चा की गयी थी। इसकी सिफारिशों के अनुसरण में इस संबंध में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति गठित की गयी थी । समिति की रिपोर्ट भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले सत्र में रखी जानी है।

(ग) उत्तर प्रदेश के इन महानगरों में कर्मकारों की संख्या के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 अनुसूचित नियोजकों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते, मूल्य सूचकांक तथा जीवन निर्वाह व्यय का ध्यान रखते हुए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है ।

उत्तर प्रदेश से आस-पास के राज्यों श्रमिक भेजने के काम में लगे ठेकेदार

2250. **श्री राम नरेश यादव** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बम्बई, दिल्ल और आसपास के राज्यों में श्रमिक भेज के काम में लगे ठेकेदारों का ब्यौर क्या है ;

(ख) क्या श्रमिक ठेकेदार इस संब में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्य कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने क संभावना है ;

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पव सिंह घटोवर): (क) से (ग) सूचना एक की जा रही है और सभा पटल पर र दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधी लाये गये बीड़ी कर्मकार

2251. **मौलाना ओबैदुल्ला खा आजमी** : क्या **प्रधान** मंत्री 16 मार्च, 199 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 580 दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बत की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कर्मचारी राज्य बीम योजना के अन्तर्गत लाये गये बीड़ी कर्मका की क्षेत्रवार संख्या कितनी-कितनी है

(ख) उन स्थानों के नाम क्या है जहां यह योजना वास्तव में लागू क जा रही है ; और

(ग) इस योजना को लागू करने के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरु क्या कार्यवाही की जा रही है ?